



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230906
CG-DL-E-02112021-230906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4221]
No. 4221]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4582(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2628(अ) तारीख 18 जून 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 30 जून 2021, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” अन्तर्गत थाना : पटना सिटी, जिला : पटना, राज्य : बिहार में एलपीजी पदार्थ के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28 जुलाई 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

थाना : पटना सिटी		जिला : पटना		राज्य : बिहार	
मौजा /ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव.-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
लोदीपुर-145 अंचल : खुसरपुर	579		00	02	50
	361		00	08	02
	362		00	04	04
	363		00	04	44
	347		00	04	32
	338		00	00	19
	325		00	00	53
	301		00	09	51
	300		00	04	23
	302		00	01	06
	304		00	02	84
	579		00	20	25
	168		00	00	10
	174		00	00	28
	175		00	02	19
	176		00	00	96
	177		00	00	99
	178		00	01	02
	180		00	04	76
	181		00	05	11
	182		00	23	99
	183		00	09	55
	577		00	00	51
580		00	03	30	

1	2	3	4	5	6
	360		00	14	35
हैबतपुर-146 अंचल : खुसरपुर	936		00	00	13
	948		00	00	18
	949		00	00	30
	952		00	01	05
	963		00	02	62
	954		00	00	12
	955		00	00	45
	957		00	00	10
	958		00	11	75
	1138		00	01	21
	1224		00	00	63
	1220		00	01	89
	1219		00	00	32
	1218		00	00	16
	1233		00	01	97
हसनपुर-144 अंचल : खुसरपुर	230		00	03	51
	228		00	00	10
	227		00	00	12
	224		00	00	10
	226		00	00	08
	225		00	00	05
	261		00	04	75
मुस्तफापुर-139 अंचल : खुसरपुर	652		00	08	49
	651		00	00	93
	650		00	04	11
	649		00	03	62
	654		00	06	25
	648		00	00	87
	647		00	02	45
	646		00	01	39
	645		00	00	84
	644		00	00	47
	667		00	06	15
	498		00	02	55
	638		00	04	85

1	2	3	4	5	6
	636		00	03	29
	561		00	01	32
	562		00	00	24
	563		00	01	99
	577		00	00	30
हेमजापुर-138 अंचल : खुसरपुर	659		00	00	65
	594		00	00	25
	596		00	00	16
	597		00	08	03
	608		00	03	85
	605		00	05	04
	417		00	01	90
	416		00	04	19
	414		00	03	79
	413		00	00	20
	154		00	00	50
	156		00	03	61
	655		00	06	31
	177		00	00	95
	35		00	00	11
	46		00	00	21
	47		00	00	25
	50		00	03	79
	60		00	00	51
	62		00	00	20
	72		00	03	19
	74		00	00	25
	76		00	02	18
टिल्हार-130 अंचल : खुसरपुर	647		00	05	35
	669		00	00	59
	670		00	06	45
	624		00	06	07
	626		00	01	81
	627		00	00	45
	628		00	07	91
	523		00	03	23

1	2	3	4	5	6
	527		00	11	50
	529		00	20	14
	534		00	00	10
	536		00	00	08
	549		00	01	71
सुकरबगचक-131	584		00	04	49
अंचल : खुसरपुर	613		00	00	15
	631		00	01	91

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4582(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2628 (E) dated 18th June 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated 30th June 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur” for the transportation of LPG Products in Thana : Patna City, District : Patna in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 28th July 2021;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Thana : Patna City		District : Patna		State : Bihar	
Mouza / Village	Survey/ Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Lodipur-145	579		00	02	50
Anchal : Khusharupur	361		00	08	02
	362		00	04	04

1	2	3	4	5	6
	363		00	04	44
	347		00	04	32
	338		00	00	19
	325		00	00	53
	301		00	09	51
	300		00	04	23
	302		00	01	06
	304		00	02	84
	579		00	20	25
	168		00	00	10
	174		00	00	28
	175		00	02	19
	176		00	00	96
	177		00	00	99
	178		00	01	02
	180		00	04	76
	181		00	05	11
	182		00	23	99
	183		00	09	55
	577		00	00	51
	580		00	03	30
	360		00	14	35
Haibatpur-146 Anchal : Khusharupur	936		00	00	13
	948		00	00	18
	949		00	00	30
	952		00	01	05
	963		00	02	62
	954		00	00	12
	955		00	00	45
	957		00	00	10
	958		00	11	75
	1138		00	01	21
	1224		00	00	63
	1220		00	01	89
	1219		00	00	32
	1218		00	00	16
	1233		00	01	97
Hasanpur-144 Anchal : Khusharupur	230		00	03	51
	228		00	00	10
	227		00	00	12
	224		00	00	10
	226		00	00	08
	225		00	00	05
	261		00	04	75
Mustafapur-139 Anchal : Khusharupur	652		00	08	49
	651		00	00	93
	650		00	04	11
	649		00	03	62
	654		00	06	25
	648		00	00	87
	647		00	02	45
	646		00	01	39
	645		00	00	84
	644		00	00	47
	667		00	06	15
	498		00	02	55
	638		00	04	85
	636		00	03	29

1	2	3	4	5	6
	561		00	01	32
	562		00	00	24
	563		00	01	99
	577		00	00	30
Hemzapur-138 Anchal : Khusharupur	659		00	00	65
	594		00	00	25
	596		00	00	16
	597		00	08	03
	608		00	03	85
	605		00	05	04
	417		00	01	90
	416		00	04	19
	414		00	03	79
	413		00	00	20
	154		00	00	50
	156		00	03	61
	655		00	06	31
	177		00	00	95
	35		00	00	11
	46		00	00	21
	47		00	00	25
	50		00	03	79
	60		00	00	51
	62		00	00	20
	72		00	03	19
	74		00	00	25
	76		00	02	18
Tilhar-130 Anchal : Khusharupur	647		00	05	35
	669		00	00	59
	670		00	06	45
	624		00	06	07
	626		00	01	81
	627		00	00	45
	628		00	07	91
	523		00	03	23
	527		00	11	50
	529		00	20	14
	534		00	00	10
	536		00	00	08
	549		00	01	71
Sukarbagchak-131 Anchal : Khusharupur	584		00	04	49
	613		00	00	15
	631		00	01	91

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-1/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.